न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 228 / 18

1. विजय सिंह पुत्र पुनीतराम जाटव आयु 28 वर्ष 2. रामअवतार पुत्र स्व० श्री कप्तान सिंह बाल्मीक आयु 27 वर्ष <u>उक्त दोनों</u> निवासी ग्राम लोहरी का पुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---आवेदकगण

विरुद्ध

पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड

———अनावेदक

02-07-2018

<u>आवेदक / अभियु</u>क्तगण विजय सिंह व रामवतार की ओर से श्री जी०एस० निगम अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना एण्डोरी से अपराध कमांक 69 / 18 अंतर्गत धारा 429 भा0दं0सं0 एवं धारा 6 म.प्र. गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदकगण की ओर से यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत कर घोषित किया गया है कि यह आवेदकगण का नियमित जमानत हेतु प्रथम आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन किसी न्यायालय में प्रस्तुत, लंबित या निराकृत नहीं किया गया, इस संबंध में एवं अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में सतीश पुत्र कप्तान सिंह बाल्मीक आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम लोहरी का पुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड, जो कि आवेदक रामअवतार का सगा भाई है तथा पुनीतराम पुत्र टीकाराम जाटव आयु 47 वर्ष निवासी ग्राम लोहरी का पुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड, जो कि आवेदक विजय सिंह का पिता है, ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं।

आवेदकर्गण की ओर से अधि. श्री जी०एस० निगम द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० के संबंध में निवेदन किया कि पुलिस थाना एण्डोरी द्वारा आवेदकर्गण के विरुद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक आवेदकर्गण का उक्त अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मामला जेएमएफसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदकर्गण दिनांक 23.06.18 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। आवेदकर्गण नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित

नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 07.06.18 को आरक्षी केंद्र एण्डोरी जिला भिण्ड में इस आशय की रिपोर्ट की गई कि <u>आवेदकगण/अभिय</u>ुक्तगण विजय सिंह व रामअवतार द्वारा अपने बटिया के खेत की लोहे की तार फेंसिंग में विद्युत का प्रवाह कर दिये जाने के कारण उसकी अर्थात फरियादी की गाय को करेंट लगने से मौत हो गई।

उक्त घटना के संबंध में आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना एण्डोरी में अपराध कमांक 69/18, धारा 429 भा0दं०सं० व धारा 6 म.प्र. गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं होकर जे0एम0एफ0सी० न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 23.06.18 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा केस डायरी के साथ आवेदकगण का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण / अभियुक्तगण विजय सिंह एवं रामअवतार की ओर से निम्न शर्तों सिहत 25,000—25,000/— रूपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंधपत्र पेश होने पर उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने हेतु विधिवत रिहाई आदेश जारी हो।

1.अभियुक्तगण प्रत्येक पेशी पर नियमित रूप से उपस्थित होते रहेंगे।

2.अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को प्रभावित / प्रलोभित नहीं करेंगे।

3.अभियुक्तगण अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित थाने को वापस भेजी जावे।

आदेश की प्रति रिक्त न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी जेएमएफसी गोहद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ भेजी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

.।धीश (सतीश कुमार गुप्ता)